



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 709] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 1991/अग्रहायण 14, 1913
No. 709] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 1991/AGRAHAYANA 14, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रधियुक्तता

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1991

का. घा. 821(घ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 का अंश संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (दो सो अठारहवां संशोधन) नियम, 1991 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आर्बंटन) नियम, 1961, में,—

(1) प्रथम अनुसूची में "4. नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"4. नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" ।

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, "नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा ।

(ख) "विदेश मंत्रालय" शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखा जाएगी, अर्थात्:—

"6. अपराधियों और अभियुक्त व्यक्तियों का भारत से विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों को और विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों से भारत को प्रत्यर्पण तथा प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) का साधारण प्रशासन और राज्य-क्षेत्रातीता ।"

(ग) "कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग" उपशीर्षक के अधीन प्रविष्टि 39 में मब (इ.) को मब (ख) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित मब (ख) के पूर्व निम्नलिखित मब अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(इ.) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों और राज्य प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित सभी मामले ।";

(घ) "विद्युत और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "क. विद्युत विभाग" उपशीर्षक के अधीन प्रविष्टि 15 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—
"16. ऐसी परियोजनाओं को छोड़कर जो किमी अन्य मंत्रालय/विभाग को विनिविष्टित: आवंटित हैं इस विभाग के अधीन सम्मिलित विषय से संबंध अल्प पब्लिक सेक्टर उद्यम ।"

(रामस्वामी वेंकटरामन)
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/3/91-मंत्रि.]

दीपक रासगुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 1991

S.O. 821(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two Hundred and Eighteenth Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, —

(1) in the First Schedule, for the heading “4. MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (NAGARIK POORTI AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA), the Following shall be substituted, namely :—

“4. MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (NAGARIK POORTI, UPBHOKTA MAMLE AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA).

(2) in the Second Schedule,—

(a) for the heading “MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (NAGARIK POORTI AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA)”, the heading “MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (NAGARIK POORTI, UPBHOKTA MAMLE AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA)” shall be substituted.

(b) under the heading “MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)”, for entry 6, the following entry shall be substituted, namely :—

“6. Extradition of criminals and accused persons from India to foreign & Commonwealth countries & vice versa and general administration of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), and extra-territoriality.”;

(c) under the heading MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (KARMIK, LOK SHIKAYAT TATHA PENSION MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

(KARMIK AUR PRASHIKSHAN VIBHAG)", in entry 39 item (e) shall be relettered as item U(f) and before item (f) as so relettered the following item shall be inserted namely :—

- "(e) All matters relating to Central Administrative Tribunals and State Administrative Tribunals.";
- (d) under the heading "MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (VIDYUT AUR APARAMPARIK OORJA SROTA MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF POWER (VIDYUT VIBHAG)", after entry 15, the following entry shall be added, namely :—
- "16. Other Public Sector Enterprises concerned with the subject included under this Department except such projects as are specifically allotted to any other Ministry|Department."

(R. VENKATARAMAN)
PRESIDENT

[No. 74|2|3|91-Cab.]
D. DAS GUPTA, Jt. Secy.